



## पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1683 / अका. / का.प. / 2022

रायपुर, दिनांक 25/05/2022

### विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छैसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 को अपराह्न 03.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण शुल्क के भुगतान की राशि रुपए 22,93,992.00 (रुपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, रायपुर से विश्वविद्यालय को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2016-17 का अंकेक्षण शुल्क राशि रुपए 22,93,992.00 (रुपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) का भुगतान पश्चात् माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 265/एफ2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 2-5-20022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.05.2022 से सातवां वेतनमान में 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।  
टीप : 1. राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाता है।  
2. राज्य शासन ने आदेश क्रमांक 265 दिनांक 02.05.2022 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते के दर दिनांक 01.05.2022 से 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत से 174 प्रतिशत कर दिया है।  
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में वेतन प्राप्त हो रहा है। अतः सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.05.2022 से 22 प्रतिशत के दर से भुगतान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
5. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी. एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

6. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त के उपरांत अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1204/सामा.प्रशा./ दिनांक 22.03.2022 के द्वारा डॉ. अनुसुइया बघेल के अर्जित अवकाश का कुल 227 दिवस का नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार डॉ. अनुसुइया बघेल को अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) का भुगतान दिनांक 06.05.2022 को किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
7. श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2022, सामान्य प्रशासन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
8. सत्र 2021-22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।  
टीप: सत्र 2021-22 "छात्रवृत्ति चयन समिति" के लिए संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। संकायाध्यक्षों की सूची (संलग्न है) में से किन्हीं तीन संकायाध्यक्षों को मनोनीत करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
9. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
टीप: वार्षिक परीक्षा 16 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर-पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु 11 केंद्रों का गठन किया गया है। तदनुसार उन्हें पारिश्रमिक भुगतान हेतु अनुमानित पारिश्रमिक राशि 80% प्रदान किया गया है। पारिश्रमिकराशि रुपए 2,13,65,590.00 (रुपए दो करोड़ तेरह लाख पैसठ हजर पाँच सौ नब्बे मात्र) की 80 प्रतिशत राशि रुपए 1,70,92,472.00 (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख बयानबे हजार चार सौ बहत्तर मात्र) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्षकार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

10. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,378.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1937/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 09.05.2022 के द्वारा डॉ. हेमंत शर्मा के अर्जित अवकाश का कुल 220 दिन के अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,378.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
11. श्री भगवान सिंह राजपूत कक्ष अधिकारी के सवोनिवृत्त होने के फलस्वरूप अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,033.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1628/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 21.04.2022 के द्वारा श्री भगवान सिंह राजपूत के अर्जित अवकाश का कुल 227 दिन के अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,033.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) का भुगतान दिनांक 06.05.2022 को किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का वित्त निर्देश 07/2022, पत्र क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 को अंगीकृत किए जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।  
टीप : छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र. 202/एफ 2016-04-03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 के अनुसार दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही है कटौती 10 प्रतिशत की मासिक कटौती दिनांक 01.04.2022 से जो माह अप्रैल 2022 के लिए देय है, समाप्त करने का निर्देश दिए हैं।  
उक्त कर्मचारियों का अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती किए जाने का उल्लेख किए हैं।  
सामान्य भविष्य निधि का ब्यौरा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखने एवं संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर राशि दर्शाने का उल्लेख किए हैं।  
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.04.2022 (वित्त निर्देश 07/2022) विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।


ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022-23 से करने पर विचार करना।

- टीप :
1. तीन विदेशी ई-शोध पत्रिकाएँ जो विगत वर्षों से निरंतर क्रय किया की जा रही है एवं 15 विदेशी ई-शोध पत्रिकाएँ, कुल 18 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय वित्तीय वर्ष 2021-22 में करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित किया जाना था।
  2. प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त हुई। समयाभाव में निविदा प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सका।
  3. पत्रिकाओं का क्रय विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2022-23 (प्रावधानित बजट मद रु. 35 लाख)से किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा वित्त नियंत्रक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए नवीन प्रस्ताव के लिए कहा गया है।
- वर्ष 2022-23 में क्रय प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1684 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 25/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

①

क्रमांक : 1405 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 6 / 03/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौसठवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 25.03.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. एस.के. प्रसाद	- सदस्य	7. डॉ. के.एन. शर्मा	- सदस्य
2. डॉ. सौम्या नैथ्यर	- सदस्य	8. डॉ. ममता शर्मा	- सदस्य
3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	- सदस्य	9. डॉ. समीर ठाकुर	- सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	- सदस्य	10. श्री सोनाऊ राम नेताम	- सदस्य
5. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	- सदस्य	11. श्री सत्यनारायण शर्मा	- सदस्य
6. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	- सदस्य	12. श्री द्वारिकाधीश यादव	- सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. उमा गोले, प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान हेतु राशि रुपए 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 26,72,159.00 (रुपए छब्बीस लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

5. श्री तीर्थ राम यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,21,281.00 (रुपए सात लाख इक्कीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

②

6. स्व. श्री प्रकाश क्षत्री, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,02,355.00 (रुपए ग्यारह लाख दो हजार तीन सौ पचपन मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

7. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति हेतु राशि A GENERAL ADMINISTRATION 20. Additional Provision for Land Acquisition रुपए 200.00 लाख, मद से राशि रुपए 7,00,000.00 (रुपए सात लाख मात्र) स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजित करने पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

8. रूसी मद से लगभग रुपए 26,52,769.00 (रुपए छब्बीस लाख बावन हजार सात सौ उनहत्तर मात्र) के उपकरण क्रय के भुगतान को विश्वविद्यालय मद से मेचिंग शेयर के रूप में भुगतान करने के लिए स्वीकृत बजट में अतिरिक्त प्रावधान मान्य करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

#### संपादक विश्वविद्यालय पत्रिका से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध आलेखों के समीक्षक (Reviewers) को मानदेय प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्थगित रखा जाए।

#### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वर्ष 2020-21 की विभिन्न सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षाओं (मई-जून 2021) के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

#### कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के लिए 400 नग एंटीवायरस क्रय हेतु रुपए 7,59,731=00 (रुपए सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विश्वविद्यालय परिसर में वाई-फाई की स्थापना किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रुपए 43,86,000=00 (रुपए तिरालिस लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

3

13. विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए Office Pro Plus 2021 SNGL OLP NL Acdmc OR Higher लायसेंस कॉपी क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय रूप 20,06,000=00 (रुप 20 लाख छः हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 दिनांक 14.02.2022 के परिपालन में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा को रु. 20800/- प्रतिमाह से रु. 31200/- प्रतिमाह किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 के अनुपालन में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भाँति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासममुंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. अनघा आगाशे के नाम का अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के लिए निर्माता कंपनी से क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरण (Quantum Efficiency and IV measurement system) के लिए 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी हेतु प्रस्तावित राशि रूप 16,19,904/- (रुप 16 लाख 19 हजार 904 नौ सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक TU/V/G-CDE (448)/2021 प्राप्त हो चुका है, तदनुसार अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।

## पूरक विषयसूची

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 32,79,201.00 (रुपए बत्तीस लाख उन्चासी हजार दो सौ एक मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
2. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 20,42,352.00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 8,74,005.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
4. विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी के भविष्य निधि जमा पर दंड एवं ब्याज भुगतान की राशि रु. 21,89,777.00 (रुपए ईक्कीस लाख नवासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, अभनपुर, जिला-रायपुर में शासी निकाय के दो सदस्य मनोनयन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री अभनपुर जिला-रायपुर (अशासकीय महाविद्यालय) में शासी निकाय गठन हेतु निम्नलिखित दो सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन किया गया :-  
  1. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
  2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय देयक रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।



7. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग एवं अध्ययनशाला हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के लिए संबंधित फर्मों को रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किए जाने वाले राशि निम्नानुसार है :-

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Swapnil Products, Raipur	रु. 78,750.00
2.	मारुति ट्रेडर्स, रायपुर	रु. 39,600.00
3.	Daksh Stationers, Raipur	रु. 3,91,725.00
4.	Vinayak Enterprises, Raipur	रु. 15,77,190.00
5.	Asheesh Enterprises, Raipur	रु. 77,024.00
6.	Swastik Printery, Raipur	रु. 82,500.00

उपरोक्त फर्मों से रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की स्टेशनरी खरीदने की प्रशासनिक एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole एवं उसमें LED Street light fitting हेतु कुल अनुबंध राशि रु. 24,21,615.00 (रुपए चौबीस इक्कीस हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

- विश्वविद्यालयके खराब हुई सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 50.00 लाख का अनुमोदन एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- एकीकृत परीक्षा हाल भवन निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं भूतल निर्माण प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- विश्वविद्यालय द्वारा सिविल, विद्युतीय, जल प्रदाय एवं सेनेटरी कार्यों हेतु आंमत्रित निविदा 25-25 लाख को निरस्त कर पुनः निविदा आंमत्रित करने की अनुशंसा की गई।
- विश्वविद्यालयप्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000/- का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।

6

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।  
निर्णय : अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 94/एफ 2019-04-04884/वि/नि/चार, दिनांक 03.02.2022 वित्त निर्देश 1/2022 के अनुरूप राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004 के द्वारा अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 02 में संशोधन पश्चात् प्रत्येक कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन योजना में अपने वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% के समान मासिक अंशदान तथा राज्य शासन (विश्वविद्यालय) का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते 14% किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

3. वार्षिक परीक्षा 2022 (मार्च-अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रुपए 81,90,000.00 (रुपए इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री गोपाल चंद्राकर, तकनीकी सहायक की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,71,244.00 (रुपए ग्यारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ चौवालीस मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

5. कार्पस फंड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

विकासविभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से दिनांक 10.06.2021 को क्रय की गई पुस्तकों (Print)के राशि रु. 7,17,494.00 (रुपए सात लाख सत्रह हजार चार सौ चौरनबे मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 से 10.03.2022 (अधिसूचना क्रमांक 3499 से 3582 तक) की निम्नानुसार अनुमोदन किया :-

कला संकाय	-	हिंदी-09, संस्कृत-01, अंग्रेजी-03, दर्शन-01
सामाजिक विज्ञान संकाय	-	समाजशास्त्र-04, इतिहास-03, मनोविज्ञान-03, राजनीति विज्ञान-10, अर्थशास्त्र-06, प्रा.भा. इतिहास-01, क्षेत्रीय अध्ययन-01
वाणिज्य संकाय	-	वाणिज्य-09
प्रबंध संकाय	-	प्रबंध-01
विधि संकाय	-	विधि-01
शिक्षा संकाय	-	शिक्षा-04
शारीरिक शिक्षा संकाय	-	शारीरिक शिक्षा-02
गृह विज्ञान संकाय	-	गृह विज्ञान-02
विज्ञान संकाय	-	भौतिक-02, रसायन-05, भूगोल-03, गणित-01, सांख्यिकी-01
जीव विज्ञान संकाय	-	माइक्रोबायोलॉजी-02, बायोसाइंस-04, प्राणीविज्ञान-03, बायोटेक्नालॉजी-01, मानव विज्ञान-01

### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


9. विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा अनुसार प्रो. (डॉ.) मीताश्री मित्रा के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति  
अध्यक्ष




कुलसचिव  
सचिव

पृ.क्रमांक : 1406 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 26 / 03 / 2022

### प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

(8)

क्रमांक : 1427/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 01/04/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैसठवीं (आपातिक) बैठक शुक्रवार, दिनांक 01.04.2022 को अपराह्न 1:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- |                        |         |                     |         |
|------------------------|---------|---------------------|---------|
| 1. डॉ. एस.के. प्रसाद   | - सदस्य | 5. डॉ. के.एन. शर्मा | - सदस्य |
| 2. डॉ. सौम्या नैय्यर   | - सदस्य | 6. डॉ. ममता शर्मा   | - सदस्य |
| 3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | - सदस्य | 7. डॉ. समीर ठाकुर   | - सदस्य |
| 4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ  | - सदस्य |                     |         |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

01. छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के लिए विनियम क्रमांक-182 D एवं विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 1428/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 01/04/2022

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



## पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

### विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छैसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
(पृ. क्र. 1 से 4 तक)  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/- (रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/- (रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का भुगतान उद्यानिकी विभाग को किया गया। उद्यानों के रख-रखाव का कार्य उद्यानिकी विभाग द्वारा दिनांक 01/04/2022 से नियमित रूप से किया जा रहा है। भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रूसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य के अतिरिक्त कार्य आडियो-विडियो एवं स्टेज लाइटिंग हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/- (रुपए इकहत्तर लाख अंत्यानबे हजार चार सौ बारह मात्र) में से राशि रु. 29,32,412/- (रुपए उनतिस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रूसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य के अतिरिक्त कार्य आडियो-विडियो एवं स्टेज लाइटिंग हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/- (रुपए इकहत्तर लाख अंत्यानबे हजार चार सौ बारह मात्र) में से कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 03.12.2021 के अनुसार राशि रु. 29,32,412/- (रुपए उनतीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) का भुगतान विश्वविद्यालय मद से किया जाना है। अतः उक्त कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु राशि रु. 29,32,412/- (रुपए उनतीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पक्ष में किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग से डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान पश्चात् निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग से डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्य हेतु पूर्व में प्राक्कलन राशि का भुगतान किस्तों में (33% या 50%) किया जाता रहा है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11-1/22-23 दिनांक 25.05.2022 के परिपालन में प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान करने पर ही निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आगे से निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से कराने प्राक्कलन राशि की 100% राशि भुगतान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 50.00 लाख का अनुमोदन भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 01.02.2022 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 पूरक विषय क्रमांक 09 में किया गया है। निर्णय अनुसार कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 25.00 लाख का भुगतान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा 100% भुगतान करने पर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने कहा है। प्राक्कलन के 50% राशि रु. 25.00 लाख के पूर्व में किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति तथा प्राक्कलन राशि की 50% शेष राशि रु. 25.00 लाख का भुगतान किए जाने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. विश्वविद्यालय परिसर में एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म Bharti Associates Raipur द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग क्र. 3, रायपुर, छत्तीसगढ़ को भुगतान किए जाने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11-1/22-23 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार 100% राशि के भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय परिसर में एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म Bharti Associates Raipur द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र) का अनुमोदन भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 01.02.2022 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 के पूरक विषय क्रमांक 09 में किया गया है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11-1/22-23 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार 100% राशि के भुगतान किया जाना है। निर्णय अनुसार उक्त कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने लोक निर्माण विभाग की प्राक्कलन राशि का 100% राशि रु. 2.84 करोड़ (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग क्र. 3, रायपुर के पक्ष में किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसियेट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत देयकों की कुल राशि रूपए 5,39,303/- (रूपए पाँच लाख उंचालिस हजार तीन सौ तीन मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु ड्राइंग डिजाइन इंस्टीमेशन स्ट्रक्चरल कंसल्टैंसी सेवाएँ देने हेतु अनुबंधित वास्तुविद फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसियेट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत देयकों की कुल राशि रूपए 5,39,303/- (रूपए पाँच लाख उंचालिस हजार तीन सौ तीन मात्र) भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. विश्वविद्यालय में गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित आर्कटेक्ट फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसियेट्स, रायपुर के द्वारा तैयार किया गया ड्राइंग डिजाइन के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000.00 (रूपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-3, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित आर्कटेक्ट फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसियेट्स, रायपुर के द्वारा तैयार किया गया ड्राइंग डिजाइन के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000.00 (रूपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) का अनुमोदन भवन निर्माण समिति एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 की पूरक विषय क्रमांक 9 में किया गया है। निर्णय अनुसार कार्य डिपोजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000.00 (रूपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-3, रायपुर के पक्ष में भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. स्वर्ण पदक (Gold Medal) के लिए निर्धारित राशि रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार मात्र) से बढ़ाकर रूपए 1,00,000/- (रूपए एक लाख मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6 की कंडिका 32 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के प्रावीण्य सूची/सर्वोच्च अंक प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा एवं दान दाताओं द्वारा स्वर्ण पदक (Gold Medal) प्रदान करने दान दिया जाता है। वर्तमान में दान की राशि रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार मात्र) एक मुश्त जमा करना आवश्यक है, जिसके ब्याज की राशि से स्वर्ण पदक (Gold Medal) प्रदान किया जाता है। स्वर्ण पदक (Gold Medal) में 18 ग्राम चांदी एवं गोल्ड प्लेटिंग हेतु 1 ग्राम सोना का उपयोग किया जाता है। स्वर्ण पदक (Gold Medal) दान की राशि रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार मात्र) वर्ष 2005 से निर्धारित है।

वर्ष 2005 से 2022 के मध्य सोना एवं चांदी के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

धातु	दान राशि	मूल्य 2005	मूल्य 2022	अंतर	वृद्धि
सोना	50,000/-	8490/- प्रति 10 ग्राम	52000/- प्रति 10 ग्राम	43510/-	5.12 गुना
चांदी		17405/- प्रति किलो	62000/- प्रति किलो	44595/-	2.56 गुना

उपरोक्त आंकड़े से ज्ञात होता है कि सोना और चांदी के मूल्य में दोगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है।

स्वर्ण पदक (Gold Medal) हेतु निर्धारित दान राशि रूपए 50,000/- (रूपए पचास हजार मात्र) से बढ़ाकर रूपए 1,00,000/- (रूपए एक लाख मात्र) किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-**

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2021-22 का देयक राशि रूपए 2,63,07,439.00 (रूपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

- टीप:** 01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018 के विषय क्रमांक 06 पर सत्र 2018-19 के लिए End-to-End Examination कार्य हेतु Pre & Post Examination के कार्य हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, रांची से कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।
02. उक्त फर्म से दिनांक 31.03.2018 को हुए अनुबंध पृष्ठ क्र. 02 के कंडिका (A) के अनुसार प्रति छात्र प्रति वर्ष के कार्य हेतु रु. 210.00 जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। अनुबंध उल्लेख किया गया है।
03. उक्त फर्म द्वारा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कार्य सत्र 2021-22 के परीक्षा पूर्व कार्य करने के पश्चात् निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

Bill No. NCCF/GM/22-23/04			Date - 09 May-2022			
S.N.	Description	Quantity	Rate	GST	Amount	
01	Pre Examination Proceiong Semester Exam Dec-Jan 2021-22	29,208 CAN	105.00	18%	30,66,840.00	
02	Pre Examination Processing Annual Exam Mar-Apr 2021-22	1,83,120 CAN	105.00	18%	1,92,27,600.00	
<b>Total</b>		<b>2,12,328 CAN</b>		<b>GST</b>	<b>40,12,999.00</b>	
					<b>2,63,07,439.00</b>	
<b>INR Two Crore Sixty Three Lakh Seven Thousand Four Hundred Thirty Nine Only.</b>						

प्रस्तावित भुगतान हेतु मद - F. Examination and Evaluation Administration (3) Result Processing Charge, Financial Year 2022-23

प्रावधानित राशि - राशि रूपए 570.00 लाख

अतः संबंधित फर्म को रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य की राशि रूपए 2,63,07,439.00 (रूपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) भुगतान करने स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-**

11. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) का विनियम 108 में शामिल करने के संबंध में विचार करना।

**टीप :** छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रं. एफ 20-70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 29/दिसंबर/2020 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन किया गया है।

छ.ग. शासन के उक्त क्रय नियम को वि.वि. द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 में शामिल किया जाना है, ताकि शासन के क्रय नियम का पालन हो सके। विनियम क्रमांक 108 के क्रय की प्रक्रिया में निम्नानुसार जोड़ा जाना है :-

(1) छ.ग. शासन के उक्त क्रय नियम को वि.वि. द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 में शामिल किया जाना है, ताकि शासन के क्रय नियम का पालन हो सके। विनियम क्रमांक 108 के क्रय की प्रक्रिया में निम्नानुसार जोड़ा जाना है :-

(1) छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रं. एफ 20-70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 09/मई/2022 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) को जोड़ा जाना है।



- (2) भंडार क्रय नियम में उपरोक्त हुए संशोधन के संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा विनियम 108 क्रय नियम प्रचलन में है। उक्त विनियम में विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा पश्चात सामग्री क्रय किये जाने का उल्लेख है, जिसके अनुसार विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति में निम्नलिखित राशि के अंतर्गत सामग्री क्रय किये जाने का प्रावधान है :-

क्र.	वर्तमान में सामग्री क्रय हेतु प्रावधानित राशि	वर्तमान में लागू भंडार क्रय नियम के अनुसार विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति में अनुशंसा किये जाने हेतु संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित है।
01	विभागीय क्रय समिति :- रु. 10001=00 से रु. 20000=00 (बीस हजार मात्र) तक	विभागीय क्रय समिति :- रु. 50,001=00 से रु. 100000=00 तक
02	केन्द्रीय क्रय समिति :- रु. 20001 से अधिक की राशि	केन्द्रीय क्रय समिति :- रु. 1,00,001=00 से अधिक की राशि

अतः उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. कंप्यूटर विज्ञान अ.शा. के लिए 20 नग कम्प्यूटर क्रय हेतु रु. 13=00 लाख (रुपए तेरह लाख मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विज्ञान अ.शा. के लैब के लिए 20 नग कम्प्यूटर क्रय किया जाना है। उक्त कम्प्यूटर CSIDC के द्वारा निर्धारित दर पर ई-मानक पोर्टल से क्रय किया जाना है। जिसमें प्रति नग कम्प्यूटर (Desktop Computer Intel Core i5) Item Code - 700005212 का दर प्रति नग Rs. 54,143.00 जीएसटी एवं इन्सपेक्शन चार्ज सहित Rs. 64,272.00 (Sixty Four Thousand Two Hundred Seventy Two) मात्र है। कुल 20 नग कम्प्यूटर एवं एसेसरीज क्रय करने पर रु.13=00 लाख (तेरह लाख) मात्र व्यय होगा। उक्त सामग्री CSIDC Rate Contract में कम्प्यूटर हेतु अनुबंधित फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से क्रय किया जाना है। जिसका भुगतान कम्प्यूटर अध्ययनशाला के स्व वित्तीय मद क्रमांक 03- Purchase & Maintenance of Equip(AC, Comp, Black Board, Notice Board/ Printer/Peripherals) से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः कम्प्यूटर क्रय करने के लिए रु.13=00 लाख (रुपए तेरह लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह के लिए ऑडिटोरियम चेयर क्रय हेतु रु. 73,94,030=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह के लिए 530 नग ऑडिटोरियम चेयर क्रय किया जाना है। उक्त ऑडिटोरियम चेयर CSIDC के द्वारा निर्धारित दर पर ई-मानक पोर्टल से क्रय किया जाना है। जिसमें प्रति नग ऑडिटोरियम चेयर Item Code - 700005681 का दर प्रति नग Rs. 11,752.00 जीएसटी एवं इन्सपेक्शन चार्ज सहित Rs. 13,951.00 (Thirteen Thousand Nine Hundred Fifty One) मात्र है। कुल 530 नग ऑडिटोरियम चेयर क्रय करने पर रु. 73,94,030=00 (तिहत्तर लाख चौरानबे हजार तीस) मात्र व्यय होगा।

अतः उक्त सामग्री CSIDC Rate Contract में फर्नीचर क्रय हेतु अनुबंधित फर्म से क्रय करने के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 40 स्मार्ट बोर्ड CSIDC के द्वारा दर निर्धारण करने के पश्चात ई-मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय करने हेतु रु. 1,00,30,000=00 (रुपए एक करोड़ तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 40 नग स्मार्ट बोर्ड क्रय किया जाना है। उपरोक्त स्मार्ट बोर्ड छ.ग. भंडार क्रय नियम के अनुसार CSIDC के द्वारा निर्धारित दर पर ई-मानक पोर्टल से क्रय किया जाना है। वर्तमान में CSIDC के द्वारा दर निर्धारण संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। अर्थात् वर्तमान में दर का निर्धारण नहीं किया गया है।

पूर्व में निविदा के माध्यम से रु. 2,50,750=00 (रुपए दो लाख पचास हजार सात सौ पचास मात्र) प्रति नग की दर से क्रय किया गया था। उसी दर को आधार मान कर 40 नग स्मार्ट बोर्ड क्रय करने पर अनुमानित व्यय रु. 1,00,30,000=00 (रुपए एक करोड़ तीस हजार मात्र) प्रस्तावित किया गया है।

अतः 40 स्मार्ट बोर्ड CSIDC के द्वारा दर निर्धारण करने के पश्चात ई-मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाना है। अतः 40 नग स्मार्ट बोर्ड क्रय करने के लिए रु. 1,00,30,000=00 (रुपए एक करोड़ तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. कैंपस एरिया नेटवर्क, वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव हेतु फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) को विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात दिनांक 13/03/2022 से 12/03/2023 तक 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है को वार्षिक रख-रखाव में रु. 10,62,000=00 (रुपए दस लाख बैसठ हजार मात्र) के व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव हेतु निविदा सूचना क्रं. 372/Dev/2021 Raipur, Date 17/08/2021 एवं द्वितीय निविदा सूचना क्रं. 562/Dev/2021 Raipur, Date 27/11/2021 जारी किया गया, परंतु एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुआ। पुनः तृतीय निविदा सूचना क्रं. 59/Dev/2022 Raipur, Date 29/01/2022 जारी किया गया था जिसमें एक ही फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया है।

विश्वविद्यालय कैंपस एरिया नेटवर्क, वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव कार्य अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। उक्त फर्म को विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात दिनांक 13/03/2022 से 12/03/2023 तक 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जा चुका है। उक्त फर्म के द्वारा एक वर्ष तक कैंपस एरिया नेटवर्क, वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव में रु. 10,62,000=00 (रुपए दस लाख बैसठ हजार मात्र) व्यय होगा। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

16. विश्वविद्यालय के Pre & Post Examination works के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : Pre & Post Examination works three academic sessions हेतु निविदा सूचना क्र. 37 /Dev/2018 Dated - 13-02-2018 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्र में निविदा सूचना प्रकाशित किया गया था।

न्यूनतम दर के आधार पर Pre & Post Examination works हेतु National Consumer Co-operative Federation of India Ltd. (NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi से Academic Session Starting from the year 2018-19 to next three sessions के लिए अनुबंध किया गया था। उक्त फर्म का कार्यकाल वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 के कार्य करने के पश्चात् समाप्त हो चुका था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के

पूरक विषय सूची क्र. 09 पर अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए Pre & Post Examination works हेतु अनुमोदन किया गया था।

चूँकि उक्त फर्म का कार्यकाल अकादमिक सत्र 2021-22 के Pre & Post Examination works पूर्ण होने के पश्चात् समाप्त हो जावेगा।

अकादमिक सत्र 2022-23 से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं एवं महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी ऑनलाइन कार्य से प्रारंभ होगा।

उक्त फर्म के कार्य के संबंध में गोपनीय विभाग से अभिमत लिया गया है, जिसमें फर्म का कार्य संतोषप्रद है, टीप दिया गया है, तथा विश्वविद्यालय के वित्त विभाग से भी अभिमत लिया गया है। वित्त विभाग के अभिमत के अनुसार "वर्ष 2022-23 के लिए कार्य आदेश जारी किया जा सकता है।"

अतः उक्त फर्म का कार्यकाल संतोषप्रद होने के कारण अनुबंध की कंडिका (G) Confidentiality & Legal Aspect Page No. 07 G (vii) "The agreement is void only for three academic sessions starting from 2018-19 onwards. On satisfactory performance of the company, the agreement may be renewed further for next three academic sessions on mutual consent basis." के अनुसार National Consumer Co-operative Federation of India Ltd. (NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi को पूर्व में जारी किए गए निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के आधार पर आगामी अकादमिक सत्र 2022-23 के लिए कार्य कराए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. संचालनालय, राज्य संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्र. सी.एस.ए./प्रति/1026 दिनांक 30.05.2022 के परिपालन में राजकीय विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.10.2021 में "प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.07.2018 से राज्य के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवें वेतनमान लागू करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि एरियर की राशि संबंधित वर्षों में दिए गए ब्लॉक ग्रांट के विरुद्ध ही संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा समायोजित किया जाएगा इस हेतु पृथक से अनुदान नहीं दी जाएगी" उल्लेखित होने से विभाग द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था। तदानुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.11.2021 में इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 06.10.2021 में स्वतः स्पष्ट होने का मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त अनुक्रम में इस विभाग द्वारा समिति गठित किया जाकर अभिमत लिया गया।

उक्त आदेशों के अनुसरण में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू करते समय दिनांक 01.01.2016 से काल्पनिक गणना करते हुए दिनांक 01.07.2018 से आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना मानकर सत्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा जारी पत्रानुसार प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवें वेतनमान एवं एरियर्स प्रदाय किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक सी.एस.ए./वे.नि./2022 नवा रायपुर दिनांक 30.05.2022 मूलतः अंगीकृत किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में वित्त निर्देश 50/2013 अंगीकृत किए जाने पर विचार करना।

टीप : अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्र. 289/156/2021/38-2 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु के 62 से 65 किए जाने के संबंध में "छ.ग. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों हेतु" वित्त निर्देश 50/2013 अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश है।

विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की आयु 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 में प्रकरण रखा गया था प्रकरण पर विषय क्र. 15 निम्नांकित निर्णय लिय गए :-

"इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के संदर्भ में शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।"

उक्त निर्णय के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्र. 1912/सा.प्रशा./2022 दिनांक 05.05.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर शासन से मार्गदर्शन अद्यतन अप्राप्त है।

अतः पुनः शासन को प्रेषित पत्र के मार्गदर्शन के अध्याधीन विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 उसे 65 वर्ष किए जाने के संबंध में वित्त निर्देश 50/2013 अंगीकृत करने प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष हेतु पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ-9-3/2022/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 26.04.2022 के द्वारा श्री सुरेश यादव फोटोग्राफर की संविदा नियुक्ति हेतु एक वर्ष वृद्धि किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

श्री सुरेश यादव फोटोग्राफर, संविदा की समयावधि दिनांक 26.02.2022 को समाप्त हो गई है।

अतः श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर को विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष हेतु पुनः नियुक्त किया जाना है। इस हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्राप्त पत्र एक वर्ष वृद्धि किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

#### मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. श्री परदेशी राम भोई को सातवें वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि की भुगतान करने के स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

टीप : 1. छ.ग. शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. 224/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 एवं पत्र क्र. 226/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानानुसार, उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारण अनुमोदन के अध्याधीन, विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किया जाता है -

क्र.	कर्मचारी का नाम	वेतन मैट्रिक में विनिर्दिष्ट लेवल	पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व वर्ष में प्राप्त वेतन	आगामी वेतनवृद्धि तिथि	देय वेतन
पदनाम – निम्न वर्ग लिपिक– वेतनमान 5200–20200+4300					
01	श्री परदेशी राम भोई	08	60400 / –	01.07.2021	62200 / –

- श्री परदेशी राम भोई को वेतन निर्धारण के आधार पर 01.01.2016 के पूर्व का एरियर्स भुगतान किया जा चुका है।
- श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक का कुल एरियर्स की राशि आयकर कटौती एवं भविष्य निधि कटौती के साथ कुल रु. 6,18,668.00 (रुपए छः लाख अठारह हजार छः सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।
- श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2018 तक के एरियर्स राशि रु. 2,17,381.00 (रुपए दो लाख सत्रह हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) का भुगतान राज्य शासन के आदेश पश्चात् किया जावेगा।  
श्री परदेशी राम भोई को उपर्युक्त अनुसार एरियर्स राशि के भुगतान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

- मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 18.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

#### अतिथि गृह एवं शिक्षक आवास से प्राप्त प्रस्ताव :-

- अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षों के वर्तमान दर में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

टीप : अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) का वर्तमान सेवा शुल्क रुपए 300.00 (रुपए तीन सौ मात्र) है। चूंकि अतिथि गृह के सभी कक्ष पूर्ण रूप से वातानुकूलित है, जिसमें लंबे समय (04.04.2006) से कमरे के शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोनों स्थानों के कमरे के सेवा शुल्क किराया में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। इससे अतिथि गृह एवं शिक्षक आवास का रख-रखाव उचित रूप से किया जा सकेगा।

क्र.		वर्तमान दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)	प्रस्तावित दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)
1.	परीक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय कार्य हेतु आमंत्रित अतिथियों हेतु	रु. 200.00	रु. 400.00
2.	अन्य विभागों एवं निजी अतिथियों हेतु	रु. 300.00	रु. 700.00
3.	शिक्षक आवास हेतु (Teachers Hostel)	रु. 200.00	रु. 300.00
4.	अतिथि गृह डारमेट्री	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/दिन	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/दिन यथावत्

अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षों के वर्तमान दर में वृद्धि हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23. गेस्ट हाऊस की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) से बढ़ाकर रु. 20,000.00 (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : गेस्ट हाऊस का विभागीय इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) पूर्व से स्वीकृत है, जिससे गेस्ट हाऊस के साथ टीचर्स हॉस्टल के जरूरी व अत्यावश्यक वस्तुओं/सेवाओं की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। सुविधानुसार कार्यों के संपादन हेतु गेस्ट हाऊस की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) से बढ़ाकर रु. 20,000.00 (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. अर्जित भू-अधिग्रहण में अतिरिक्त मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में अद्यतन की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना पर विचार करना।

टीप : विवरण संलग्न है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. इलेक्ट्रानिक्स विभाग के लिए क्रय किए गए उपकरण पर व्यय राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के कार्योंत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. विभाग द्वारा M/s. HOLMARC OPTO MECHATRONICS Pvt. Ltd. Kochi Kerla से उपकरण Quantum efficiency & measurement system model H.. sc-QUIV क्रय हेतु कुल राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) की अनुशंसा केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई।


2. विश्वविद्यालय बजट प्रावधान 2022-23 के C-VI Other S.O.S. 2(b) Equipment (Only for lab) हेतु मद से भुगतान की कार्यवाही की गई है।

3. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के विषय सूची क्रमांक 16 में उपकरण क्रय हेतु राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के व्यय का अनुमोदन प्राप्त है।

4. विभाग द्वारा प्रस्तावित उपकरण क्रय की कुल राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) का भुगतान आवश्यक होने के कारण किया गया, जिसका व्हाउचर क्रमांक 359,360 दिनांक 09.05.2022 है।

5. उपरोक्तानुसार किए गए भुगतान राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के कार्योंत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

26. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

  
कुलसचिव